

GR No. २४० ३११७२९९ .

Date : १०/१२/२३

Fee Paid Rs. १३०

Vide Application No. २३०२

Date : १०/१२/२३

अनुसूची 21—प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० २५५ २०२६
 आवेदन सं० २३०) २०२६
 चूकि AP हैरानी का पत्र इन मेरपत्र अवधि दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निवंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। लाइन लाइन
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० ५०१०१२ से ता० Certified सक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला हैं —

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रवष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवेदन में वर्णित सम्पत्ति का विवरण						GR NO.		
	Mouza :-					Deed No. :-	२४०३/१२२९९	
	Thana No. :-					Dated :-	५५५६	
	Thana :-					Ranchi :-	५५५६/२०२३	
	Khata No. :-						Ranchi	
	Plot No. :-							
	Sub Plot No. :-							
	Area of Plot :-							
	Dist. :- Ranchi							


(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

- (ख) 1. बंधक — प्रमाण पत्र की दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :—



(पदनाम) :—

15/7/2023

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :—



(हस्ताक्षर) :—

15/7/2023

कार्यालय :— अवर निबंधक कार्यालय राँची ग्रामीण, राँची।

तारीख :

Date : 15/7/2023

टिप्पणी :—



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
15/7/2023

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

✓ (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को संत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

ज्ञापांक

542

दिनांक 15/7/2023

प्रमाण पत्र

विषय कुलपति

की सम्पत्ति अवभार

Rakeshikal Chakravarthy, Sansthan
Rehala, Palamau, Jharkhand

को प्रेषित

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

15/7/2023

१०८ परा म पट्ट का अवधि और वार्षिक लगान है।

१०८ परा का वार्षिक लगान है।

GR No. २५०.३।।.२१२२

Date : १२.१२.२०२३

Fee Paid Rs. १३०

Vide Application No. २३०८

Date : १३.१२.२०२३

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभास-प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० ७४३

2024

चूकि श्री ADD. RANCHI TANH. ने मेरुपाजा/आवेदन किए हैं कि निम्नलिखित संपत्ति के निवधित संव्यवहारों और अवभारों का लाइक प्रमाण-पत्र जाय ५१५५
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० ५. १०. १२ से ता० ८. १२. १३ तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला हैं -

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रवृष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवेदन में वर्णित सम्पत्ति का विवरण								
Mouza :-								
Thana No. :-								
Thana :-								
Khata No. :-								
Plot No. :-								
Sub Plot No. :-								
Area of Plot :-								
Dist. :-	Ranchi							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

- (ख) 1. बंधक - प्रमाण पत्र की दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की ओर निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :-

(हस्ताक्षर) :-

कार्यालय :- अवर निबंधक कार्यालय राँची ग्रामीण, राँची।

तारीख :



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
R (15) 1/2023

Date : 15/01/2023

टिप्पणी :-

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (द्रान्जेक्षान्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रगाणपत्रों की जल्लरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

✓ (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूँढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को संत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना दूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

ज्ञापांक

542

दिनांक

15/01/2023

प्रमाण पत्र

दिनांक 15/01/2023 की सम्पत्ति अवभार
राशनेल शिक्षणिक,
कानूनी रेलवे अफॉर्मेंट 31/1/1975 को प्रेषित

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
R 15/01/2023

GR No. २५०...३६. २२४६

Date : १५/१२/२०२४

अनुसूची 21—प्रपत्र संख्या 113

Fee Paid Rs. 130

Vide Application No. २३०६

Date : १३/१२/२०२४

संपत्ति-अवभार-प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० २५२ 202

चूकि श्री A.P. Vinay Kumar

संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि मिस्ट्रिक्षित संपत्ति के निवधित आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० ५/०/१२ से ता० ५/१२/२०२४ तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला हैं —

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रवस्ति के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवेदन में वर्णित सम्पत्ति का विवरण								
Mouza :-							
Thana No. :-							
Thana :-							
Khata No. :-							
Plot No. :-							
Sub Plot No. :-							
Area of Plot :-							
Dist. :-	Ranchi							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

- (ख) 1. बंधक — प्रमाण पत्र की दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :—

(पदनाम) :—

15/7/2023

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :—

20/7

(हस्ताक्षर) :—

15/7/2023

कार्यालय :— अवर निबंधक कार्यालय राँची ग्रामीण, राँची।

तारीख :



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
15/7/2023

Date : 15/7/2023

टिप्पणी :—

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रगाणपत्रों की जरूरत हो उहें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होती।

✓ (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

ज्ञापाक

572

दिनांक 15/7/2023

प्रमाण पत्र

रामेश्वर कार्यालय
रामेश्वर कार्यालय, पलामऊ, उत्तर प्रदेश
को प्रेषित

की सम्पत्ति अवभार

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

R. Jaiswal
15/7/2023